निदेशालय
महानिदेशक,गृह रक्षा, राजस्थान,जयपुर।

ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in
Website : http://home.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– प.37( )एचजी/पीएसएएल/निरी./2020/456 दिनांक :– 06 JAN 2020

स्थाई–आदेश सं. 04/2020

विषय : निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण

गृह विभाग, राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन संख्या एफ.33(5)गृह–9/2005 दिनांक 31.01.2012 के अनुसार महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005 के प्रावधानो के अनुसार कार्य करने हेतु नियंत्रक प्राधिकारी (कण्ट्रोलिंग ऑथोरिटी) नियुक्त किया गया है।

सभी निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा लाइसेन्स प्राप्ति के पश्चात प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनयमन) अधिनियम– 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य किया जा रहा है अथवा नही, इस हेतु निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों का नियमित निरीक्षण किया जाना अति–आवश्यक है। इस क्रम में निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005 की धारा 16 के प्रावधानो एवं राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियम 8(4) दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के निरीक्षण हेतु नियंत्रक प्राधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को अधिकार प्रदत्त हैं।

उपरोक्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के निरीक्षण हेतु निर्देशित करने पर अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण के पश्चात प्रस्तुत किये जाने वाले **"निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान निरीक्षण प्रतिवेदन"** का प्रारूप संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

06/1/2020

(राजीव दासोत, IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक)
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

परिशिष्ट क के लिये यहाँ क्लिक करे।